FIROZABAD POLICE

" सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा "

प्रेस नोट थाना दक्षिण दिनांक 28-07-2021 जनपद फिरोजाबाद।

कर्ज से मुक्ति पाने के लिए स्वंय के अपहरण एवं हत्या की साजिश रचने वाला शातिर हत्यारा अभियुक्त मौ0 जुबैर गिरफ्तार।

- **कर्ज से मुक्ति पाने के लिए स्वंय के अपहरण की रची थी साजिश।**
- **पुलिस व परिजन पता ना लगा सकें इसके लिए दोनों सिम तोड़कर फेंक दिया था अपना मोबाइल।**
- **छद्म नाम से वालुज औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहकर एक प्राइवेट कम्पनी में कर रहा था नौकरी।**
- **अपनी पहचान छुपाने के लिए सलीम के साथ मिलकर अपने कदकाठी के अन्य व्यक्ति सुधाकर की थी हत्या।**
- **मृतक की पहचान छुपाने हेतु चेहरे को पेट्रोल से जलाया एवं काटा गुप्तांग ताकि धार्मिक पहचान ना हो सके।**
- **मृतक के शव के साथ कुएँ में डाली डायरी,बैग व अपने कपडे जिससे शिनाख्त मौ0 जुबैर के रूप में हो।**
- **नई पहचान के साथ नई जिन्दगी शुरू करने की थी तैयारी।**
- **फिरोजाबाद पुलिस टीम के अनवरत प्रयास से शातिर अभियुक्त की चाल हुई असफल। हुआ गिरफ्तार।**

दिनांक 08-06-2021 को मौ0 जुबैर पुत्र मौ0 जाकिर निवासी मौ0 राजपूताना थाना दक्षिण फिरोजाबाद अपने एक मित्र के साथ कार लोन के सम्बन्ध में आगरा गया था जहाँ से लोन सम्बन्धी कार्य निपटाकर कुबेरपुर आगरा से दिल्ली जाने वाली टैक्सी पर बैठा और लापता हो गया। इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पर मौ0 जुबैर के परिजनों द्वारा दिनांक 10-06-2021 को गुमशुदगी पंजीकृत करायी गयी थी। घटना की गम्भीरता व उसके प्रभाव के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण प्रभारी सुशान्त गौर व उ0नि0 अमित तोमर की एक पुलिस टीम गठित की गयी।

मौ0 जुबैर उपरोक्त पर बैंक व अन्य लोगों के करीब 25 लाख रूपये का कर्ज था। लॉकडाउन में उसकी कम्प्यूटर रिपेयरिंग एवं बिक्री की दुकान का काम प्रभावित हो जाने के कारण कर्ज अदा करने में असमर्थ हो गया। इस कारण उसने अपने अपहरण की साजिश रची और दिनांक 08-06-2021 को नेहरू प्लेस दिल्ली कम्प्यूटर खरीदने के कहकर चला गया एवं अपना मोबाइल आईएसबीटी आगरा के पास फेंक दिया ताकि लोगों के लगे कि उसका अपहरण हो गया है एवं वहाँ से हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में लॉकडाउन लगा होंने के कारण वालुज, औरंगाबाद हैदराबाद में एक फैक्ट्री में रिजवान के छद्म के नाम से

काम करने लगा जहाँ उसकी पहचान सलीम से हुई। सलीम व रिजवान उर्फ मौ0 जुबैर ने साथ में काम करने वाले व मौ0 जुबैर जैसी कदकाठी रखने वाले सुधाकर पुत्र आनंदा वारेगना निवासी मुलखेड़ा जिला औरंगाबाद को शातिराना तरीके से हत्या कर दी और सुनियोजित तरीके से मृतक के चेहरे को पेट्रोल से जला दिया एवं उसके लिंग को काट दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। साथ ही मौ0 जुबैर का बैग, डायरी, कपडे आदि के साथ शव को एक बावड़ी(बड़ा कुआँ) में फेंक दिया ताकि पुलिस और परिजनों को लगे कि मृतक मौ0 जुबैर ही है। अभियुक्त जुबैर अपनी चाल में लगभग कामयाब हो गया था परन्तु थाना दक्षिण पुलिस टीम के अनवरत प्रयास व ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर स्थानीय पुलिस मृतक की पहचान सुधाकर के रूप में कर सकी और साबित हुआ कि उक्त घटना मौ0 जुबैर द्वारा सलीम के साथ मिलकर की गयी ताकि वह मृतक घोषित हो जाए और उसे एक नई पहचान व नई जिन्दगी मिल जाए। इस सम्बन्ध में थाना वालुज औरंगाबाद महाराष्ट्र में मु0अ0सं0 348/21 धारा 302,201 भादवि बनाम जुबैर पंजीकृत किया गया था।

थाना दक्षिण पुलिस टीम के अथक प्रयास द्वारा अभियुक्त जुबैर को लाइनपार वाले रेलवे ओवर ब्रिज के पास से दिनांक 27-07-2021 को गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में थाना वालुज को अवगत कराया गया जहाँ से एक टीम अभियुक्त जुबैर का ट्रांजिट रिमाण्ड लेने के लिए रवाना है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-मौ0 जुबैर उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र मौ0 जाकिर निवासी मौ0 राजपूताना थाना दक्षिण फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-श्री अनूप कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।

2-श्री सुशान्त गौर निरीक्षक जनपद फिरोजाबाद।

3-उ0नि0 श्री अमित तोमर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

4-का0 448 पवन कुमार थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

5-रि0आरक्षी साहित्य नागर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।